प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

पन्द्रह-पन्द्रह हजार रुपये के 02 इनामिया गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 06.06.22

पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध को अपनी आय का स्रोत बना लेने वाले अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री एन.पी.सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी महोली के नेतृत्व में थाना महोली पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 277/22 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना महोली सीतापुर में वांछित चल रहे 02 इनामिया अभियुक्तो 1. इदरीश पुत्र अनीश 2.इरसाद पुत्र जहूर निवासीगण ग्राम विक्रमपुरवा थाना महोली सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्तगण उपरोक्त शातिर एवं अभ्यस्त किस्म के अपराधी है, जो आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु गोवध जैसे अपराध कारित करते है तथा इनके विरुद्ध सम्बन्धित धाराओं में पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत हैं। **अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रत्येक पर पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्तगण द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।** अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। जनपद में अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही निरन्तर इसी प्रकार प्रचलित रहेगी।

अभियुक्तों का नाम/पता-

1. इदरीश पुत्र अनीश निवासी ग्राम विक्रमपुरवा थाना महोली सीतापुर
2. इरसाद पुत्र जहूर निवासी ग्राम विक्रमपुरवा थाना महोली सीतापुर

पुलिस टीम थाना महोली-

1. उ0नि श्री उमेश चन्द्र चौरसिया
2. का0 राहुल कुमार
3. का0 नवनीत कुमार

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 320/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना महोली सीतापुर
2. मु0अ0सं0 277/22 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना महोली सीतापुर